उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–41/2021

नरेन्द्र सिंह बनाम् निर्मल बेदिया एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25.11-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह, पिता–नन्दु सिंह, निवास–ग्राम–नया नगर घुटुवा, नियर गुरूद्वारा, पो०–नया नगर बरकाकाना, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–22/2019–20 निर्मल बेदिया बनाम् नरेन्द्र सिंह में दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–घुटुवा थाना–पतरातू, थाना नं०–59 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–45 प्लॉट न०–1239 कुल रकवा–0.95 ए० मध्ये रकवा–0.15 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–घुटुवा, के थाना संख्या–59, अंतर्गत खाता न०–45 प्लॉट न०–1239 रकवा–0.95 ए० भूमि मुनसीया बेदिया वल्द जगलाल बेदिया कौम बेदिया जो रैयती आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर केवाला के आधार पर दावा करते है उनका कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा वर्ष 1943 में लगान नहीं देने के कारण भूमि भूतपूर्व जमीनदार को सरेंडर कर दिया गया। सरेंडर के पश्चात जमीनदार ने उक्त भूमि अब्दुल वादिल को भूमि बंदोबस्त कर दिया गया। अपीलार्थी की माता को केवाला के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त हुआ एवं जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–66/3 पर अपीलार्थी की माता श्रीमती रूकमणी देवी के नाम जमाबंदी कायम हुआ। उनका कहना है कि इस प्रकार खतियानी रैयत 78 वर्षो से बेदखल है। उक्त भूमि पर मकान एवं चाहर दीवारी आवस्थित है। यह भी उनका कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के द्वारा मेरा दस्तावेजों में नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो नियम संगत नहीं है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के पारित	

आदेश रद्द करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष को नोटिस मिलने के बावजूद एक भी तारिख में उपस्थित नहीं हुए। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया जिसमें अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–घुटुवा, के खाता न०–45 प्लॉट न०–1239 रकवा–0.95 ए० भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जो पंजी–II पृष्ठ संख्या–55/I पर खाता संख्या–45 वो० 64 रकवा–10.53 ए० भूमि मुंशी बेदिया वगै० पिता–जगलाल बेदिया के नाम से दर्ज है। गैर आदिवासी के द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं नाजायज ढंग से मकान एवं चाहर दीवारी बना कर निवास कर रहे है। अपीलार्थी का यह कहना कि, उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–66/3 पर अपीलार्थी की माता श्रीमती रूकमणी देवी के नाम जमाबंदी कायम है, लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से कायम है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला से प्राप्त होकर जमाबंदी कायम है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है की उक्त जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से कायम है, C.N.T. Act-1908 का उलंघन प्रतीत होता है। साथ ही साथ अचंल अधिकारी, पतरातू का यह प्रतिवेदित करना कि गैर आदिवासी के द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं नाजायज ढंग से मकान एवं चाहर दीवारी बना कर निवास कर रहे है, यह भी C.N.T. Act-1908 का उलंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–22/2019–20 निर्मल बेदिया बनाम् नरेन्द्र सिंह में दिनांक–18.03.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) के तहत् पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.12.15 13:52:09 +05:30
Location: 192.168.0.249